Indian Streams Research Journal
Vol -2 , ISSUE –7, Aug.2012
ISSN:-2230-7850
Available online at www.lbp.world

ORIGINAL ARTICLE

मौलिक कर्तव्य

सुनिता चौहन
सहायक प्राध्यापक , राजनीति विज्ञान , राजकीय महाविद्यालय साहा.

भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृतलिखित संविधान है | इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा ताकि एक सशक्त देश की नीवं रखी जा सके | भारत के सविंधान में जहाँ सरकार को शासन चलाने के किए विस्तारपूर्वक दिशा निर्देश दिए हुए हैं वही नागरिकों को भी उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया हैं | यह हमारे संविधान की ही ताकत है कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश व दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद हमारे देश में सिर्फ एक बार ही आपातकाल (इमरजेंसी - 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक) लगा है | इस आपातकाल के दौरान सरकार को लगा के लोग केवल और केवल अधिकारों की ही बात कर रहे हैं अपने कर्तव्य की बात नहीं करते जबकि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ - साथ चलते हैं | इसीलिए सरकार ने आपातकाल (1975 से 1977 तक) के दौरान , 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया | जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 25 जून 1975 से 21 मार्च 77 दौरान " मूल कर्तव्य और उनकी आवश्यकता " आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी | इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए | इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए | केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया | इसके माध्यम से संविधान में एक और नए भाग IV क को जोड़ा गया | इस भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 क था | जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का विशेष उल्लेख किया गया | अनुच्छेद 51क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह :

संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें |

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखे और उनका पालन करें |

भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें |

देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें |

भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो | ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है |

हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें |

प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन , झील , नदी और वन्य जीव है , उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें |

वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें |

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे |

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हु एऔर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले | इस के अलावा ग्यारहवां कर्तव्य :-

6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है | यह कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया | जिस में कहा गया हैं की राष्ट्र के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक शिक्षा है शिक्षा के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है प्रत्येक नागरिक एवं समूचे राष्ट्र के विकास का आधार प्राथमिक शिक्षा है माता-पिता एवं अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा देना सबसे जरूरी है शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है शिक्षा से ही समूचे राष्ट्र में परिवर्तन आ सकता है |

इस में कोई शक नहीं हैं कि अधिकार और कर्तव्य अभिभाज्य हैं परंतु फिर भी सविधान लिखते वक्त केवल अधिकारों पर ही जोर दिया गया था कर्तव्यों पर नहीं | इस की कमी को आपातकाल के दौरान पूरा किया गया क्योंकि कि बिना कर्तव्यों की पालना के उच्च कोटि के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और ना ही एक स्थिर और मजबूत देश की .

2. मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ :-

मूल कर्तव्यों की बहुत सी विशेषताएँ है | जिनमे से निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है |

उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य है तो कुछ नागरिक | उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय ज्ञान का आदर करना नागरिक कर्तव्य |

यह मूल्य भारतीय परंपरा पौराणिक कथाओं धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है | दूसरे शब्दों में यह मूलत: भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है |

कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए है चाहे वह नागरिक हो या विदेशी लेकिन मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है ना कि विदेशियों के लिए |

निर्देशक तत्व की तरह मूल कर्तव्य संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है यानी उनके खिलाफ कोई कानून संस्तुति नहीं है उपयुक्त द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है |

मूल कर्तव्यों की आलोचना

संविधान के भाग IV क में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है |

कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है , क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है | असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली हुई थी |

आम व्यक्ति के लिए उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की व्याख्या हो सकती है | सामासिक संस्कृति विज्ञान आदि के चलते उन्हें आदेश दिया गया | समिति ने सिफारिश की थी | संविधान में शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करा दिया गया ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध में भी हो | आलोचकों ने कहा कि संविधान के भाग IV में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल में महत्व को कम करती है | उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते |

कुछ कर्तव्य अस्पष्ट बहु अर्थीएवं आम आदमी के लिए समझने में कठिन है । उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है ' उच्च आदर्श ' सामासिक संस्कृति ' ` वैज्ञानिक दृष्टिकोण ' आदि । अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया । प्रसंगवंस स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी

मूल कर्तव्यों का महत्व : - आलोचनाओं के विरोध के बावजूद मूल कर्तव्य की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है |

1. एक नागरिकों की तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं | तब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं |नागरिकों को अपने देश अपने समाज और अपने साथी ही नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए |
2. मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी , समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं |
3. मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं | वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार है |
4. मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि कि संवैधानिक वैधता एंव उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं | 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी दी कि किसी कानून की संवैधानिक ताकि दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 जहां अनुच्छेद 19 (6 स्वतंत्रताओं) के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है |
5. मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं इनमें से किसी के भी पूर्ण होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थ दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है तत्कालीन विधि मंत्री एचआर गोखले ने संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने के निम्नलिखित कारण बताएं स्वतंत्रत भारत के बाद विशेषता: जून 1975 को आपात काल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की

अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई | मूल कर्तव्यों के सम्बन्धी पीठ के प्रावधानों का आंदोलनकारी लोग जिन्होंने विगत में राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विद्रोह किए हो पर संयमी प्रभाव होगा | तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को उचित ठहराते हु एतर्क दिया कि इसमें लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी उन्हों ने कहा " मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं होना चाहिए लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हु एलोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए " संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्वमें नई सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्य को समाप्त नहीं किया | उल्लेखनीय है कि नई सरकार 43 वें संशोधन अधिनियम 1977 में एंव 44 वे संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी परंतु ये संशोधन नहीं हु ए| यह ज्यादा स्पष्ट हो गया जब वर्ष 2002 में 86 में संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया |

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल किया जाना एक प्रशंसनीय कार्रवाई है क्योंकि इसके अस्तित्व के बिना सविधान में मौलिक अधिकारों का अस्तित्व संपूर्ण प्रतीत नहीं होता परंतु इसके बावजूद भी आलोचकों द्वारा इन मौलिक कर्तव्य की आलोचना की गई है | भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में अंकित किए गए आदर्श ऐसे हैं जिनके संबंध में व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न अथवा विरोधी विचार हो सकते हैं | इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता कि इन आदर्शों का पालन भारत के सर्वमुखी विकास के लिए अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा | इन कर्तव्यों के पालन के साधन के विषय में भारत के राजनीतिक दलों के विचार तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं परंतु इस समय में भी कर्तव्यों के विषय में कोई विवाद न होना महत्वपूर्ण है क्योंकि भिन्न-भिन्न धर्म नस्ल और जातियों, संस्कृतियों , प्रांतों वाले भारत के लिए सर्वमान्य कर्तव्य निर्मित करना एक कठिन समस्या थी यद्यपि यह कर्तव्य देश के सर्वोच्च कानून में अंकित है परंतु इन सब का वैधानिक नहीं बल्कि नैतिक महत्व है | इनके पीछे कोई सत्तावादी वैधानिक शक्ति नहीं है जिससे इनका पालन ना करने वालों को संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कोई दंड नहीं दिया जा सकता फिर भी इनके नैतिक स्वरूप को स्वीकार किया जाता है और इनके नैतिक रुप में भी इनकी महत्ता है

REFERENCES

1. B.K. Malhotra, "Women in Politics : Participation and Governance", DPS Publishing House, 2011.
2. S.N. Pattanaik, "Rural Women Panchayati Raj and Development", Arise Publishers and Distributors, 2010.
3. K.C. Vidya, "Political Empowerment of Women at the Grassroots", Kanishka Publishers and Distributors, New Delhi, 1997.
4. Niroj Sinha, "Empowerment of Women through Political Participation", Kalpaz Publications, , 2007.
5. V.M. Sirsirkar, "Rural Elite in Developing Society : A Study in Political Sociology", Orient Longman, New Delhi, 1970.